ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

वर्धा (महाराष्ट्र)

कार्यवृत्त

(आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC) की आठवीं बैठक)

दिनांक: 26 अप्रैल, 2017 समय : 11.00 बजे

स्थान : सभा-कक्ष, भाषा विद्यापीठ

विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा-442005

कार्यवृत्त

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC) की आठवीं बैठक दिनांक 26 अप्रैल, 2017 को पूर्वान्ह 11:00 बजे भाषा विद्यापीठ के सभाकक्ष में माननीय कुलपति प्रो. गिरीश्वर मिश्र की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य एवं बाह्य विशेषज्ञ उपस्थित रहे:-

1. प्रो. मनोज कुमार, सदस्य
2. प्रो. एल. कारूण्यकरा, सदस्य
3. प्रो. कृष्ण कुमार सिंह, सदस्य
4. प्रो. अनिल कुमार राय, सदस्य
5. प्रो. अरविंद कुमार झा, सदस्य
6. डॉ. मैत्रेयी घोष, सदस्य
7. डॉ. अन्नपूर्णा सी, सदस्य
8. डॉ. अनिल कुमार पाण्डेय, सदस्य
9. डॉ. रामानुज अस्थाना, सदस्य
10. डॉ. राजीव रंजन राय, सदस्य
11. श्री क़ादर नवाज़ ख़ान,कुलसचिव
12. डॉ. अशोक पावडे, सदस्य
13. श्री शावेज़ ख़ान, विद्यार्थी
14. श्री सुशील बी. पखीड़े, विशेष आमंत्रित
15. श्री ऋषभ कुमार मिश्र, विशेष आमंत्रित
16. डॉ. शोभा पालीवाल, समन्वयक

बैठक में प्रो. आनंदवर्धन शर्मा, समकुलपति, प्रो. आनंद प्रकाश, डॉ. प्रफुल्ल काले, श्री भरत महोदय अपरिहार्य कारणों से उपस्थित नहीं हो सके।

आरंभ में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की समन्वयक डॉ. शोभा पालीवाल ने नए सदस्यों प्रो. कृष्ण कुमार सिंह, डॉ. अनिल कुमार पाण्डेय, डॉ. रामानुज अस्थाना, डॉ. राजीव रंजन राय, श्री शावेज खान तथा बैठक में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया और पूर्व सदस्यों का उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। इसके बाद अध्यक्ष महोदय से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करने का अनुरोध किया। कार्यसूची पर विचार-विमर्श के बाद सर्व सम्मति से लिए गए निर्णयों का विवरण निम्नानुसार है-

मद संख्या 01 – आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की सातवीं बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि एवं अनुमोदन।

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की सातवीं बैठक माननीय कुलपति महोदय प्रो. गिरीश्वर मिश्र की अध्यक्षता में दिनांक 09 नवंबर 2016 को अपरान्ह 3:30 बजे भाषा विद्यापीठ सभागार में सम्पन्न हुई थी, जिसका कार्यवृत्त सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा प्रेषित किया गया था। कार्यवृत्त की प्रति माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई।

निर्णय : सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

मद संख्या 02 – आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की सातवीं बैठक में लिए गये निर्णयों के अनुपालन मे की गई कार्यवाही।

निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई।

बिंदु संख्या 03 – नैक पीयर टीम के सुझाव के अनुसार विश्वविद्यालय का अकादमिक ऑडिट अकादमिक सत्र 2015-16 एवं 2016-17 का एक साथ माह अगस्त-सितंबर 2017 मे करवाने का निर्णय लिया गया।

बिंदु संख्या 10 - अनुवाद अध्ययन विभाग, जनसंचार विभाग तथा भाषाविज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत consultancy के अवसर खोजने का प्रयास किया जाए। जनसंचार विभाग द्वारा सरकारी चैंनलो से संपर्क किया जाए। विदर्भ का एक प्रोडक्शन हाउस बनाया जाए। इस संदर्भ में एक शॉर्ट फिल्म बनाकर वेबसाइट पर डाली जाए।

बिंदु संख्या 11 - पुस्तकालय में सुचारु व्यवस्था के लिए पुस्तकालय के बाहर एक Timing बोर्ड लगाया जाए। अनुदानित पुस्तकों का एक कैटलॉग तैयार किया जाए तथा इन पुस्तकों को कोहा सॉफ्टवेअर पर उपलब्ध कराया जाए। समस्त पुस्तकों का डिजिटल ढंग से कैटलॉग बनाया जाए। पुस्तकालय को व्यवस्थित करने के लिए पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा एक निश्चित योजना बनाई जाए।

बिंदु संख्या 14 - पर्यावरण संरक्षण हेतु समस्त विभागों/अनुभागों को पत्र प्रेषित किया जाए कि विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्य वृक्षों को बचाने हेतु अधिक से अधिक सक्रिय प्रयास करें।

निर्णय : अन्य बिंदुओं को प्रकोष्ठ द्वारा संज्ञान में लिया गया।

मद संख्या 03 - सत्र 2016-17 में किये गए कार्य (सूचनार्थ विषय)।

निर्णय : प्रकोष्ठ ने सूचनाएँ ग्रहण की।

मद संख्या 04 – विश्वविद्यालय के कार्यरत शैक्षणिक कर्मियों के Career Advancement Scheme (CAS) अंतर्गत आवेदनों पर विचार।

निर्णय: डॉ. अन्नपूर्णा चर्ले – अनुवाद अध्ययन विभाग, डॉ. धनजी प्रसाद – भाषाविज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग आदि के सी.ए.एस. (CAS) प्रकरणों की जाँच के लिए प्रो. कारूण्यकरा की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट बैठक में रखी गई। प्रारम्भिक जाँच समिति की रिपोर्ट के आधार पर स्टेज 1 से 2 के प्रकरण को स्क्रीनिंग समिति (Screening Committee) तथा स्टेज 4 से 5 के प्रकरण को चयन समिति के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया। चयन समिति (Selection Committee) के बाद स्थापना एवं प्रशासन विभाग द्वारा प्रकरणों को कार्य परिषद में रखा जाएगा।

समिति के समक्ष डॉ. अन्नपूर्णा चर्ले का सी.ए.एस. (CAS) प्रकरण भी रखा गया था इसलिए डॉ. अन्नपूर्णा चर्ले बैठक से उठकर बाहर चली गईं।

मद संख्या 05 – परीक्षा परिणाम घोषित करने की अवधि पर विचार विमर्श।

निर्णय : परीक्षा परिणाम 30 दिन के भीतर घोषित करने का प्रयास किया जाए। प्रश्नपत्र के होते ही उत्तर पुस्तिकाएँ संबंधित परीक्षक को पहुँचा दी जाएँ और एक निश्चित अवधि के अन्दर उन्हें जाँचकर लौटाने हेतु निर्देशित किया जाए। परीक्षा विभाग इस हेतु विशेष पहल करे।

मद संख्या 06 – नियोजन प्रकोष्ठ (Placement Cell) को सुदृढ़ बनाने पर पुनः विचार-विमर्श।

निर्णय: प्रत्येक विभाग के विद्यार्थियों के नियोजन की संभावना को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा एक नियोजन पुस्तिका (Placement Brochure) तैयार किया जाए। इसे संभावित सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों को प्रेषित भी किया जाए। नियोजन का सकारात्मक माहौल बनाने के लिए जिन संस्थानों में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का नियोजन हो सकता है उनसे संपर्क किया जाए। और उन्हें विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया जाए। आगामी सत्र में नियोजन प्रकोष्ठ द्वारा विद्यार्थियों में वृत्तिक दक्षता के विकास हेतु कार्यशाला का आयोजन किया जाए। जिसमें उन्हें अपने व्यक्तिवृत्त (CV) प्रस्तुतीकरण (Presentation) आदि पक्षों पर प्रशिक्षण दिया जाए। तात्कालिक पहल करते हुए वर्धा शहर में संचालित, निजी विद्यालयों के प्रबंधकों को हिंदी अध्यापकों का चयन करने के लिए Campus interview लेने हेतु पत्र लिखकर विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया जाए। Placement Cell प्रत्येक अकादमिक सत्र की नियोजन (Placement) से संबंधित जानकारी अपडेट रखे। नियोजन प्रकोष्ठ की गतिविधियों को सुगम बनाने हेतु बजट आवंटन भी आवश्यक है।

मद संख्या 07 – विभागों द्वारा सूचनाएँ समय पर उपलब्ध कराई जाएँ इस हेतु अधिष्ठाताओं की भूमिका पर विचार विमर्श।

निर्णय : MHRD, UGC से वर्ष भर में तरह तरह की सूचनाएँ माँगी जाती हैं। विभागों द्वारा समय पर सूचनाएँ उपलब्ध कराने हेतु समस्त विद्यापीठों के अधिष्ठाता अपनी विद्यापीठ में संचालित विभागों से समय पर सूचनाएँ उपलब्ध कराने में सहयोग करें।

मद संख्या 08 – बी.ए. (सामान्य) एवं बी.ए. (ऑनर्स) प्रारम्भ करने हेतु विचार विमर्श।

निर्णय : आगामी विद्या परिषद की बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 09 – पी.बी.ए.एस फार्म की जाँच हेतु समिति गठित करने पर विचार विमर्श।

निर्णय : UGC के नियमानुसार सभी शैक्षणिक कर्मियों को अपने अकादमिक वर्ष के पी.बी.ए.एस. फार्म को आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC) कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य है।

बैठक अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् संपन्न हुई।

शोभा पालीवाल
समन्वयक, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ

प्रो. गिरीश्वर मिश्र
कुलपति, म.गां.अं.हिं.वि.वि. वर्धा